

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(10)स्था/ आकाशि/ वि.सं./22 / 159

दिनांक: 15/11/22

प्राचार्य

समस्त राजकीय/नोडल महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय:- माननीय न्यायालय के आदेश की पालना बाबत।

संदर्भ:- विद्या संबल योजनान्तर्गत विभाग के आदेश 14.07.2022 के क्रम में।

उक्त क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आमंत्रित कुछ गैस्ट फ़ैकल्टी द्वारा आर.पी.एस.सी से नवीन चयनित अभ्यर्थी/शिक्षक की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से पद भरे जाने के कारण गैस्ट फ़ैकल्टी को मुक्त करने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष नवीन विधिक प्रकरण प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश प्राप्त किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने कुछ याचिकाओं में निम्न आदेश पारित किये हैं-

"In that view of the matter, the petitioners are at liberty to apply under the Vidya Sambal Scheme anywhere in the state of Rajasthan where the advertisement under the Vidya Sambal Scheme has been issued by the respondents and the respondents are directed to give preference to the petitioners for appointment in the Vidya Sambal Scheme."

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में यदि आपके महाविद्यालय द्वारा इस सत्र हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में अभी तक गैस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया है या पैनल अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा गत वर्ष आमंत्रित गैस्ट फ़ैकल्टी के द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है तो ऐसे आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर प्राथमिकता प्रदान करने के आग्रह पर याची को माननीय न्यायालय का आदेश प्रभावी रहने तक प्राथमिकता प्रदान की जानी है।


(डॉ.आर.सी.मीना.)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रक्षित पत्रावली।
2. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड हेतु।


(डॉ.आर.सी.मीना.)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर